फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

शान्ति देवी शर्मा बनाम लो.सू.अधि. कोषाधिकारी, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 20 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08.04.2026	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमती शान्ति देवी शर्मा निवासी प्लॉट नं 188 एम.जी. सिग्नेचर अपार्टमेन्ट पशुपतिनाथ, जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी **कोषाधिकारी भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील एवं संलग्न फोटो प्रति पत्रादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना आर.टी. आई. एक्ट के अन्तर्गत नहीं चाही गई है बल्कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रा0पत्र/शिकायत दर्ज की गई है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत में अंकित वांछित सूचना भरतपुर जॉन से संबंधित ना होकर जयपुर जॉन से संबंधित है। जिसका निस्तारण/जबाब संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग राज0 जयपुर द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दिया जा चुका है। राजस्थान संपर्क पोर्टल जॉन जयपुर पर दर्ज प्रा0 पत्र/शिकायत की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रार्थना पत्र की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चलने योग्य नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। प्रार्थीया को लिखा जावे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ही अपील आर.टी.आई नियमों के अन्तर्गत की जा सकती है। तदनुसार सूचित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	270-271 20/4/26